शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ अनुबंध पर 01 वाहन लिए जाने हेतु जारी निविदा संबंधी नियम एवं शर्तें।

1– आपूर्ति किया जाने वाला वाहन पेट्रोल चलित इर्टिगा BS–6 माडल होना आवश्यक है। उक्त अंकित वाहन का मेक माडल अप्रैल, 2019 के बाद का होना आवश्यक होगा। नवीन वाहन को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।

3– निविदा प्रपत्रों में वाहन का मासिक किराया बिना वाहन चालक तथा बिना ईधन की स्थिति में उपलब्ध कराया जाएगा। ईधन की आपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी तथा वाहन का संचालन विभागीय वाहन चालक द्वारा किया जाएगा।

4– आपूर्ति किया जाने वाला वाहन इर्टिगा BS–6 माडल उत्तम गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर; तौलिया, प्रकाश की उचित व्यवस्था, फुटमैट, बैक कैमरा, साईड फुट स्टेप; रोलर कर्टन इत्यादि उत्तम कोटि का होगा। आपूर्ति के उपरान्त विभाग द्वारा यदि वाहन में अन्य कोई ऐसेसिरीज या उपकरण लगाए जाते हैं तो संबंधित फर्म द्वारा बीजक प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा।

5– वाहन के टायर; बैटरी; हैडलाईट, बैक लाईट; इन्डीकेटर; फन्ट तथा बैक वाईपर, समस्त ग्लास, दरवाजे तथा वाहन संबंधी अन्य समस्त उपकरण उचित तथा उत्कृष्ठ गुणवत्तायुक्त होना आवश्यक है तथा वाहन में अग्नि सुरक्षा उपकरण मानकों के अनुसार होना आवश्यक है।

6– आपूर्तित वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा अनुबंध की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र अर्थात वाहन पंजीयन; व्यावसासिक परमिट शुल्क; वाहन फिटनैस; बीमा आदि वैध होना आवश्यक है। **संबंधित साक्ष्य की प्रति संलग्न करें।**

7– आपूर्तित वाहन, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत आल इण्डिया परमिट से आच्छादित होना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के **निजी वाहन** की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

8– यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता फर्म को तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता फर्म वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है, उस परिस्थिति में विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत माना जाएगा।

9– वाहन का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप राज्य में अथवा राज्य के बाहर कहीं भी किया जाएगा।

10– आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा आवटित कार्य को पुनः किसी अन्य फर्म को हस्तगत नहीं किया जाएगा।

11– ईधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (परिस्थिति के अनुरूप) लागबुक के आधार पर विभाग द्वारा होगी। ईंधन के व्यय को अपडेट/विवरण को संरक्षित रखने हेतु लागबुग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएगी। लागबुक में संबंधित विवरण को विभागीय वाहन चालक द्वारा ही अंकित किया जाएगा।

12– आपूर्तित वाहन की नियमानुसार समय–समय पर सर्विसिंग आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा स्वयं कराई जाएगी।

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड

13– सेवा प्रदान करने में विलम्ब होने पर दर अनुबंध का निरस्तीकरण निम्नांकित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुए दर पंजीयन को समाप्त कर दिया जायेगा :–

क–यदि आपूतिकर्ता फर्म समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

ख–यदि आपूतिकर्ता फर्म द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषप्रद न हों।

14– **कर एवं अन्य देयकों का भुगतान :–**

क– सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर; पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा, प्रमाणित बीजक प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा धनराशि का भगतान किया जाएगा।

ख– अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति नियमानुसार लागू करों आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जायेगा प्रमाणित बीजक प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

15– आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम; न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम; पी०एफ०; ई०एस०आई०; मोटरयान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

16– उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई बिन्दु जो वाहन किराए पर लिए जाने से सबंधित हो एवं जिसे उक्त इंगित शर्तों में सम्मिलित नहीं किया जा सका हो, तो संज्ञान होने पर संबंधित बिन्दु को पृथक से अवगत कराया जाएगा।

17– नियम तथा शर्तों को परिवर्तित करने तथा अनुबंध पर लिए जाने वाले वाहनों की संख्या को कम करने का पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा।

18– निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क रूपया 250/– (रूपया दो सौ पचास मात्र) का ड्राफ्ट तथा धरोहर धनराशि रूपया 5,000/– (रूपया पांच हजार मात्र) की F.D जो श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में निविदा प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

19– निविदादाता द्वारा फर्म का GST में पंजीयन तथा पैन एकाउण्ट संबंधी प्रपत्र लगाया जाना आवश्यक होगा।

20– बीजकों का भुगतान नियमानुसार जी०एस०टी० TDS तथा आयकर TDS काटते हुए किया जाएगा।

21– निविदा प्रपत्रों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही अर्थात निविदा को खोले जाने की तिथि में परिवर्तन तथा रद्द किये जाने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना (संशोधन/शुद्धि पत्र) पृथक से समाचार–पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जाएगी। किसी भी प्रकार का संशोधन एवं शुद्धि पत्र विभागीय वैब साईट www.labour.uk.gov.in में अपलोड किया जाएगा।

क्रमांक	विवरण	धनराशि/दरें समस्त करों सहित	अभ्युक्ति
1	वाहन ईधन तथा चालक रहित।		

श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड